न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 38/2018

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री करणसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही। 2. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति पुरोहित निवासी खडात तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 3. श्री बद्रीप्रसाद पुत्र श्री धर्मचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी सदर बाजार आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 4. श्री गिरधारीलाल पुत्र श्री रामलाल माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी बोरनाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से।
3. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से।
4. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार)

निर्णय

दिनांक : 08.12.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार आबूरोड द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/केम्प/खडात/2018/02 दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से पेरोकार सरकार, द्वारा उपस्थिति दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या तीन व चार की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अ[illegible] लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन [illegible] अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों से परे एवं [illegible] अधिकारों से परे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश क्रमांक/राजस्व/केम्प/खडात/ 2018/02 दिनांक 22.06.20[illegible] को पारित करने में भारी [illegible] एवं वाक्यातन त्रुटि कारित की है। यह है कि मौजा खडात तहसील आबूरोड में अपीलांट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 181, 182, 183, 184/1, 185/1 एवं 185/2 है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य विवाद राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में चल रहा था एवं उक्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य समक्षौता दिनांक 15.12.2013 को किया गया जिस पर मई 2018 में समझौते पर अमल किया जाना तय हुआ एवं समझौते के अनुसार खसरा संख्या 185/1 की 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अपीलांट द्वारा द्वितीय पक्षकार सोहनलाल वगैराह को दिया जाना तय किया गया एवं उसके एवज में खसरा संख्या 182 व 183 की 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि द्वितीय पक्षकार श्री सोहनलाल वगैराह द्वारा प्रथम पक्षकार को दिया जाना तय किया गया एवं प्रथम पक्षकार को अपनी भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते के लिए भूमि देने हेतु द्वितीय पक्षकार श्री सोहनलाल वगैराह ने अपने आपको पाबन्द किया। इसके अलावा खसरा संख्या 182 में से 5 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि पर अपीलांट अपना कब्जा यथावत रखने का भी तय किया गया। मौजा खडात के खसरा संख्या 183 रकबा 2.04 बिस्वा की आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार ने पूर्व पटवार हल्का से विभाजन विलेख तैयार करवाकर अपीलांट के जबरन हस्ताक्षर करवाए एवं उक्त विभाजन गलत व विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के साथ छल कर तैयार किया गया है एवं उसके अनुसार राजस्व अभिलेख में गलत व विधि विरूद्ध नामान्तरकरण दायर किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि खसरा संख्या पश्चिम लोर तथा खसरा संख्या 184 के पूर्वी लोर पर 20 फीट चौडा रास्ता पुराने समय से मौके पर मौजूद है, जिसका उपयोग व उपभोग अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से लगातार करते आ रहे है एवं उक्त रास्ते को भी विभाजन में शामिल किया गया है, जो गलत है। राजीनामा में भी रास्ते की भूमि पर अपीलांट का आवागमन का पूर्ण अधिकार होना तय किया गया था। यह है कि अपीलांट सीनियर सीटिजन है, जिसको आपसी सहमति से विभाजन को समझाया नहीं गया, केवल मात्र राजीनामा का कहकर अपीलांट से हस्ताक्षर करवाए गए एवं मौके पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के पुराने रास्ते में तारबन्दी कर उसे बन्द करने पर अपीलांट को उसके साथ हुए छल की जानकारी हुई। यह है कि राजीनामा के अनुसार भी अपीलांट को कुंआ व अन्य खसरा संख्या 185 में से भूमि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे भी आपसी सहमति के आधार पर किया गया विभाजन शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि आपसी सहमति के जरिए किया गया विभाजन अपीलांट के हक अधिकारों के विरूद्ध होने तथा तत्कालीन पटवारी द्वारा गलत व विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। पटवारी हल्का [illegible] व पक्षकारान द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थ न्याय[illegible] उक्त आदेश पारित किया गया है, जो सही है। अतः श्रीमान [illegible] को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:54 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर [illegible] अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/केम्प/खडात/ 2018/02 दिनांक 22.06.2018 को पारित करने मे

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कोई त्रुटी नही की गई है। यह है कि मौजा खडात के खसरा संख्या 181, 182, 183, 184/1, 185/1 एवं 185/2 आराजी के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट संख्या तीन व अपीलार्थी के मध्य कभी कोई विवाद राजस्व मण्डल अजमेर मे नहीं चल रहा था, जबकि उक्त विवाद अपीलार्थी के पुत्र श्री विजयसिंह ने तख्तसिंह व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 01.12.2017 को विड्रो कर खारिज करवा दिया गया, जिसके पश्चात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार ने अपने-अपने हिस्से की भूमि राजीनामा अनुसार दो अलग-अलग पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत वर्ष 2017 में ही एक दूसरे के नाम हस्तान्तरण कर भूमि का कब्जा सुपूर्द कर दिया था एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या चार की भूमियां को आने जाने का रास्ता भी अलग-अलग था। अपीलार्थी जिस सोहनलाल से समझौता राजीनामा दिनांक 15.12.2013 को होना बता रहा है, उक्त सोहनलाल को अपीलार्थी द्वारा इस अपील में जान-बूझकर दुर्भावना पूर्वक पक्षकार नही बनाया गया है, जिस कारण पक्षकारों के असंयोजन के कारण उक्त अपील परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या तीन उक्त तथाकथित समझौता दिनांक 15.12.2013 से बाध्य नहीं है। यह है कि मौजा खडात में स्थित खसरा संख्या 183 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि में श्री भलाराम पुत्र श्री लुम्बाजी जाट निवासी कारोली तहसील आबूरोड का 19/44 खातेदारी हिस्से में से 9/44 खातेदारी हिस्सा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 12.03.2012 को रेस्पोडेन्ट संख्या तीन ने क्रय किया, जिसके पश्चात उक्त विक्रय विलेख के आधार पर बाद जाच राजस्व रेकर्ड मे उक्त कृषि भूमि 9/44 खातेदारी हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ एव तब से रेस्पोडेन्ट संख्या तीन अपने क्रयशुदा कब्जे काश्त एव खातेदारी की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग विना किसी बाधा के अन्य खातेदारान की जानकारी में करता आ रहा है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 183 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि का विभाजन कराने हेतु तहसीलदार आबूरोड को राजस्व केम्प में लिखित प्रार्थना पत्र अपने हस्ताक्षरों से प्रस्तुत किया, जिस पर बाद जांच हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त खसरा संख्या 183 की भूमि को चार भागों में विभाजित कर नए खसरा संख्या 183/1 रकबा 0.03 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या दो के नाम, खसरा संख्या 183/2 रकबा 0.09 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या तीन के नाम, खसरा संख्या 183/3 रकबा 1.07.10 बीघा अपीलांट के नाम एवं खसरा संख्या 183/4 रकबा 0.04.10 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या चार के नाम अलग-अलग खाते कायम कर राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में विधिवत अमल दरामद कर दिनांक 22.06.2018 को दर्ज किए गए एवं विभाजन अनुसार मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया। यह है कि अपीलार्थी एव रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार की भूमियों का आने-जाने का रास्ता भी मौके पर अलग-अलग है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य रास्ते के विवाद को इस अपील के माध्यम से निर्धारित कर निर्णित नहीं किया जा सकता बल्कि रास्ते का विवाद के निर्णय हेतु अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाकर ही उस पर हस्ताक्षर किए है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:54 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/केम्प/खडात/ 2018/02 दिनांक 22.06.2018 को पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। यह है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील को अपीलांट के पुत्र श्री विजयसिंह द्वारा दिनांक 01.12.2017 को विड्रॉल कराई गई एव

Bhanwar
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा अनुसार जमीन को एक द् कर दी जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई है। अपीलांट द्वारा श्री सोहनलाल रेकर्ड पर नहीं लिया है। यह है कि खसरा संख्या 182 की 5 बिस्वा का कोई तय नहीं किया गया है एवं कोई भी विभाजन पर अप हस्ताक्षर नहीं करवाए गए है। अपीलांट द्वारा आपसी सहमति से वि उस पर हस्ताक्षर किए है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट ने परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए ज

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रा अध्ययन एव अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का तो मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि विवादित भूमि पटवार हल्का ख में आई हुई है। दौराने सुनवाई अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब और मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्या आबूरोड द्वारा बंटवाड आदेश क्रमांक/राजस्व/कैम्प/खडात/ 22.06.2018 पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष यह प्रतीत होता है कि मौजा खडात पटवार मण्डल खडात तहसी सिरोही में खसरा संख्या 181, 182, 183, 184/1, 185/1 एवं 18 आई हुई है। उक्त आराजी के सम्बन्ध मे दिनांक 15.12.2013 को प्रथम करणसिंह पुत्र श्री हेमसिंह एवं द्वितीय पक्ष श्री सोहनलाल पुत्र श्री माहेश्वरी, श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण एवं श्री भंवरदास जाति साद के मध्य लिखित समझौता राजीनामा हुआ। उक्त 15.12.2013 के बिन्दु संख्या एक के अनुसार राजस्व मण्डल पा विचाराधीन वाद को अपीलार्थी के पुत्र श्री विजयसिंह द्वारा विड्रा वि संख्या दो के अनुसार प्रथम पक्ष की खसरा संख्या 185/1 मे से 1 द्वितीय पक्ष को एवं द्वितीय पक्ष की खसरा संख्या 182 व 183 मे से 1 प्रथम पक्ष को रजिस्ट्री करवाकर अदला-बदली करेगें, जिसकी 15.11.2017 को अ[illegible] गई, जो पत्रावली पर उप अधिवक्ता का जाहिर [illegible] खडात के खसरा 04 बीघा की आराजी [illegible] जबरन हस्ताक्षर करवाकर गल किया गया है। इस सम्बन्ध मे प[illegible]ली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार द्वारा ही खसरा संख्या 183 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि का विभाजन प्रार्थना पत्र अपने-अपने हस्ताक्षरों से तहसीलदार आबूरोड के समक्ष पर तहसीलदार आबूरोड द्वारा पटवार हल्का खडात एवं भू-अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दरामद किया गया। जहां तक उक्त खसरा संख्या 183 के रास्ते का सवाल है तो नायब तहसीलदार आबूरोड, भू–अभिलेख निरीक्षक आबूरोड एवं पटवार हल्का खडात द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 16.10.2018 में भी स्पष्ट किया गया है कि मौजा खडात के खसरा संख्या 183, 182 रकबा क्रमशः 2.04 बीघा, 0.08 बीघा पर अपीलार्थी एवं रेसपोडेन्ट संख्या चार के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड किया हुआ है एवं बंटवाड अनुसार मौके पर काबिज है एवं दोनों ही खातेदारों के आने–जाने का रास्ता भी अलग–अलग है। यदि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो से चार के मध्य रास्ते से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो इस सम्बन्ध में अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251(क) के तहत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में वाद पेश करे। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner